भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 445

दिनांक 3 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए व्यावसायिक टीकाकरण

445 श्रीमती सुधा मूर्ती

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समुदाय में फैलने वाले संक्रामक रोगों के अक्सर संपर्क में आने के कारण आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का कोई आकलन किया है;
(ख) क्या अग्रिम पंक्ति के ये कार्यकर्ता, वर्तमान में किसी व्यावसायिक टीकाकरण या वयस्क टीकाकरण योजना के अंतर्गत कवर किये गए हैं;
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एक संरचित व्यावसायिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का विचार रखती है; और
(घ) अग्रिम पंक्ति के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच वयस्क टीकाकरण के बारे में जागरूकता, पहुंच और रिकॉर्ड बनाए रखने में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आशा प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध गतिविधियों के लिए कार्यक्रम-आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में, राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों/लाभों के अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट प्रोत्साहन/लाभ भी प्रदान कर रही हैं।

सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम सभी पात्र लाभार्थियों, अर्थात् बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 टीकाकरण निवारण योग्य बीमारियों के विरूद्ध 11 टीके उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई समर्पित या पृथक वयस्क टीकाकरण या व्यावसायिक टीकाकरण कार्यक्रम नहीं है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान, इन अग्रिम पंक्ति के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा/अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया और समुदाय में संक्रामक रोगों के संपर्क में आने के उनके उच्च जोखिम और भूमिका को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया।

इसके अलावा, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के सभी स्तरों (उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल) पर स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं और आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं सहित सभी लोग किसी भी समय इनका लाभ उठा सकते हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने महामारी के समय आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अथक प्रयासों को सराहते हुए निम्नलिखित प्रोत्साहन/घोषणाएं कीं। विवरण इस प्रकार हैं-

- जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने वाली प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को प्रति माह 1000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन।

- कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक विस्तारित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी)' के तहत 50 लाख रुपये के बीमा (कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना) के अंतर्गत आशाकार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया था।
